रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 5, 2007/फाल्गुन 14, 1928

No. 226] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 5, 2007/PHALGUNA 14, 1928

IndiaCode

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2007

का.आ. 318(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो से परामर्श करके ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (1) और धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि प्रत्येक अभिहित उपभोक्ता,—

(क) ऐसे किसी ऊर्जा प्रबंधक को पदाभिहित या नियुक्त करेगा जिसके पास ऊर्जा संरक्षण (ऊर्जा प्रबंधकों के लिए न्यूनतम अर्हता) नियम, 2006 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हता हैं; और

(ख) ऊर्जा संरक्षण (अभिहित उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा उपभोग की प्रास्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति) नियम, 2007 में विहित किए गए अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में ऊर्जा उपभोग की प्रास्थिति संबंधी रिपोर्ट, अभिहित अभिकरण को इलैक्ट्रोनिक प्ररूप में और हार्ड प्रति में ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो को प्रति सहित अभिहित अभिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

[फा. सं. 10/6/2006-ईसी]

यू. एन. पंजियार, विशेष सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2007

S.O. 318(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 14 and Section 18 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency hereby direct, that every designated consumer shall—

(a) designate or appoint an energy manager having the minimum qualification specified in the Energy Conservation (minimum qualification for energy managers) Rules, 2006; and

(b) submit a report in electronic form as well as hard copy to the designated agency with a copy to the Bureau of Energy Efficiency, on the status of energy consumption at the end of every financial year as prescribed in the Energy Conservation (the form and manner for submission of report on the status of energy consumption by the designated consumers) Rules, 2007.

[F. No. 10/6/2006-EC]

U. N. PANJIAR, Spl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.